



संदर्भ: आईआरडीएआई/आईएफआरएस/ओआरडी/सीएमटी/40/2/2024  
Ref: IRDAI/IFRS/ORD/CMT/40/2/2024

16 फरवरी, 2024  
16<sup>th</sup> February, 2024

**आदेश**  
**ORDER**

**विषय: बीमा क्षेत्र में इंड एस / आईएफआरएस के कार्यान्वयन पर विशेषज्ञ समिति का पुनर्गठन**  
**Sub: Re-Constitution of Expert Committee on Implementation of Ind AS / IFRS in Insurance sector**

प्राधिकरण बीमा क्षेत्र में भारत में बीमा संविदाओं संबंधी नये मानक सहित जो अंतरराष्ट्रीय लेखांकन बोर्ड (आईएसबी) द्वारा प्रख्यापित आईएफआरएस 17 के समकक्ष है, इंड एस के कार्यान्वयन के संबंध में कार्य कर रहा है।

The Authority has been working on implementation of Ind AS in Insurance sector including new standard on insurance contracts in India which is equivalent of IFRS 17 (Insurance Contracts) promulgated by the International Accounting Standards Board (IASB).

इंड एस/ आईएफआरएस के कार्यान्वयन में संबद्ध परिचालनगत जटिलताओं और सरोकारों तथा मौजूदा समिति के विभिन्न सदस्यों के प्रोफाइलों में परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण ने बीमा क्षेत्र में इंड एस/ आईएफआरएस के कार्यान्वयन संबंधी समस्याओं का समाधान करने के लिए भारतीय सनदी लेखाकार संघ (आईसीएआई), भारतीय बीमांकक संस्थान (आईएआई) और बीमा उद्योग को संबद्ध करते हुए विशेषज्ञ समिति का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया है। विशेषज्ञ समिति की संरचना निम्नलिखित है:

Considering the operational complexities and concerns involved in the implementation of Ind AS / IFRS and the changes in the profiles of various members of the existing committee, the Authority has decided to re-constitute the Expert Committee involving Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), Institute of Actuaries of India (IAI) and Insurance industry to address implementation issues of Ind AS / IFRS in insurance sector. The following is the composition of Expert Committee:

**विशेषज्ञ समिति अध्यक्ष / Expert Committee Chair:**

1. सदस्य वित्त व निवेश, आईआरडीएआई / Member F&I, IRDAI

**सदस्य / Members:**

2. अध्यक्ष, एसबी, आईसीएआई / Chairman, ASB, ICAI
3. अध्यक्ष, आईएआई / President, IAI
4. मुख्य महाप्रबंधक एवं विभागाध्यक्ष, बीमांकन विभाग, आईआरडीएआई  
CGM & HOD, Actuarial Dept., IRDAI
5. सीए आशुतोष पेडणेकर / CA Ashutosh Pednekar
6. सीए मुरुतुजा वजीही / CA Murtuza Vajih
7. सीए परमिंदर कौर / CA Parminder Kaur
8. श्री कुंज महेश्वरी / Mr. Kunj Maheshwari
9. श्री प्रसून सरकार / Mr. Prasun Sarkar
10. श्री गार्थ जोन्स / Mr. Garth Jones
11. श्री शरद रामनारायणन / Mr. Sharad Ramnarayanan
12. श्री शतमन्यु श्रीवास्तव / Mr. Shatmanyu Shrivastava
13. श्री जी रामबाबू (सदस्य संयोजक) / Mr. G. Rambabu (Member Convener)



विशेषज्ञ समिति निम्नलिखित विचारार्थ विषयों पर कार्य करेगी:

The Expert Committee shall work on the following Terms of Reference:

- क. कदम जो चरण-वार समय-सीमाओं के साथ इंड एस/आईएफआरएस के प्रभावी कार्यान्वयन की दिशा में उठाये जा सकते हैं।
  - a. Steps as may be taken towards effective implementation of Ind AS/IFRS along with phase-wise timelines
- ख. इंड एस/ आईएफआरएस का कार्यान्वयन करते समय मुख्य व्याख्याओं (सर्वोत्तम प्रथाओं) संबंधी सिफारिशें।
  - b. Recommendations on key interpretations (best practices) while implementing Ind AS / IFRS
- ग. प्रोफार्मा वित्तीय विवरण संबंधी सिफारिश।
  - c. Recommendation on proforma financial statement
- घ. इंड एस/आईएफआरएस के अनुपालन से युक्त वित्तीय प्रकटीकरणों संबंधी सिफारिश, ऐसे प्रकटीकरणों के साथ जो तत्काल प्रभाव से अधिदेशात्मक (मैंडेटरी) बनाये जा सकते हैं।
  - d. Recommendation on Financial Disclosures in compliance with Ind AS/IFRS along with those which can be mandated with immediate effect
- ङ. संबंधित व्यावसायिक संस्थान से मार्गदर्शन नोट्स, एपीएस और शिक्षण सामग्री की अपेक्षाएँ।
  - e. Requirements of Guidance notes, APS and Education Material from respective professional institute
- च. संक्रमण कार्यकलापों से उत्पन्न होनेवाली किन्हीं प्रमुख समस्याओं और सरोकारों का समाधान।
  - f. Addressing any key issues and concerns arising out of transition activities
- ड. इंड एस/ आईएफआरएस के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक समझा जानेवाला कोई अन्य विषय
  - g. Any other issue as may be considered necessary for effective implementation of Ind AS / IFRS

उक्त विशेषज्ञ समिति प्रायः आवश्यक संख्या में बैठक करेगी तथा वह आवश्यक समझे गये रूप में किसी विशेषज्ञ/अधिकारी को सहयोजित/आमंत्रित कर सकती है।

The Expert Committee shall meet as often as may be required and may co-opt / invite any expert / official, as may be considered necessary.

**मुख्य महाप्रबंधक (सा.प्र.&मा.सं.) / CGM (GA&HR)**  
**आईआरडीएआई / IRDAI**